न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

प्रथम अपील संख्या 194/2026 | पीठासीन अधिकारी:– डॉ0 अरूण गर्ग आई.ए.एस.

दीपक शर्मा पुत्र श्री निरंजनलाल शर्मा, पता अडूकिया स्कूल के पीछे, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333026, मो0 नं0 8750826645

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

— —

आदेश

दिनांक 20.05.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.04.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 194/2026 पर दिनांक 29.04.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/1332–33 दिनांक 30.04.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ ने पत्रांक विविध/26/31 दिनांक 13.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता दीपक शर्मा, निवासी अडूका स्कूल के पीछे, चिडावा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ मे प्रस्तुत वाद संख्या 14/2026 की प्रगति रिपोर्ट चाही गई है। श्रीमान्जी अपीलकर्ता को कार्यालय के पत्रांक विविध/26/28 दिनांक 04.05.2026 को सूचित किया जा चुका है कि न्यायालय पत्रावली की प्रगति रिपोढ हेतु न्यायालय मे नकल का आवेदन मय शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु दिनांक 14.05.2026 को उपस्थित। अपीलार्थी ने सूचना नही मिलना जाहिर किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ ने पत्रांक विविध/26/31 दिनांक 13.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता दीपक शर्मा, निवासी अडूका स्कूल के पीछे, चिडावा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ मे प्रस्तुत वाद संख्या 14/2026 की प्रगति रिपोर्ट चाही गई है। श्रीमान्जी अपीलकर्ता को कार्यालय के पत्रांक विविध/26/28 दिनांक 04.05.2026 को सूचित किया जा चुका है कि न्यायालय पत्रावली की प्रगति रिपोर्ट हेतु न्यायालय मे नकल का आवेदन मय शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है। अपीलार्थी ने सूचना नही मिलना जाहिर किया है। अपीलार्थी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 14/2026 की प्रगति रिपोर्ट चाहता है। जो प्रकरण की आदेशिकाओं से दी जा सकती है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उक्त प्रकरण की आदेशिका की प्रमाणित प्रति एक माह मे निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं